

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय

- न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बस्सी, जयपुर

प्रार्थी

प्रहलाद

केस संख्या 35/20

बनाम

अप्रार्थीगण

सरकार व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 128 एल. आर. एक्ट

| क.स. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|-----------|---------------------------|---|--|
| | 22.12.2020 | <p>प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 128 एल. आर. एक्ट अधिवक्ता श्री कुलदीप शर्मा द्वारा विरुद्ध अप्रार्थीगण पेश किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 01/01/2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>Handwritten Signature</i> उपखण्ड मजिस्ट्रेट बस्सी, जयपुर</p> | <p style="text-align: right;">235 22/12/2020 बस्सी जयपुर</p> |
| 11/1/21 | | <p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा वर्ष में जारी नोटिस पत्रावली पर नहीं लौटते हैं, मत। प्रार्थी वकील पुनः अप्रार्थीगण की तलवी हेतु नोटिस सी. आ. / साधारण पेश करें। पत्रावली दिनांक 21/1/2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Handwritten Signature</i> उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट बस्सी जिला-जयपुर</p> | <p style="text-align: right;"><i>Handwritten Signature</i> 21/1/2021 21/1/2021</p> |
| 21/1/2021 | | <p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपखण्ड अप्रार्थीगणों की ओर से वकील श्री प्रीराम कुमार शर्मा के द्वारा पत्रावली पेश किया गया जिसमें शामिल पत्रावली अप्रार्थीगण के अधिवक्ता के द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि के साथ-साथ अप्रार्थीगण की भूमि की पत्रावली भी जाती है। नोटिस कोरि आदि</p> <p style="text-align: right;"><i>Handwritten Signature</i> उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट बस्सी जिला-जयपुर</p> | |

